

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

\*\*\*\*\*

No. 2014/TG-I/23/RTSA/Court Case

Date: 21.04.2016

Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 21 OF 2016)

**Sub: Amendment in RTSA Rules.**

Please refer to this office letter of even number dated 20.05.2014 forwarding therewith a copy of Authorisation of RTSA Rules, 2014. These rules were challenged in Hon'ble Supreme Court and based on the judgment dated 07.09.2015 passed by Hon'ble Supreme Court, the representations of RTSAs were examined and certain amendments have been made in the Authorisation of RTSA Rules, 2014 vide S.O.1426(E) dated 13.04.2016, a copy of which is enclosed.

1.1 IRCTC will make necessary modifications accordingly to implement revised provisions of RTSA Rules, 2014.

2. It has also been decided that all other e-ticketing agents authorised by IRCTC for issuing of e-tickets shall also realise service charges prescribed for RTSAs i.e. @ ₹20/- per ticket for Sleeper and 2S classes and ₹40/- per ticket for all other classes.

2.1 Further, all authorised ticketing agents including RTSAs, e-ticketing agents and also YTSKs should be allowed to book tickets in Suvidha trains without any restrictions.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.



**(Dr. S.K. Ahirwar)**  
**Director Traffic Commercial (G)**  
**Railway Board**

No. 2014/TG-I/23/RTSA/Court Case

New Delhi, dated 21.04.2016

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.  
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner, Railways

Del/B/my documents/LETTER/letter\_2016

-- 2/

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C), TC-II & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

\*\*\*\*\*

सं. 2014/टीजी-1/23/आरटीएसए/कोर्ट केस

नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक  
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21)

**विषय: आरटीएसए नियमों में संशोधन।**

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 20.05.2014 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ आरटीएसए नियम, 2014 के प्राधिकार की प्रतिलिपि अद्येपित की गई है। इन नियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और दिनांक 07.09.2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर आरटीएसए के अभ्यावेदनों की जांच की गई और दिनांक 13.04.2016 के एस.ओ.1426(ई) के तहत आरटीएसए नियम, 2014 के प्राधिकार में कुछ आशोधन किए गए हैं, जिनकी प्रति इसके साथ संलग्न की गई है।

- 1.1 तदनुसार, आईआरसीटीसी, आरटीएसए नियम, 2014 के संशोधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए ~~इसमें~~ आवश्यक आशोधन करेगा।
2. यह भी विनिश्चय किया गया है कि ई-टिकटों को जारी करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा प्राधिकृत सभी अन्य ई-टिकटिंग एजेंट, आरटीएसए के लिए निर्धारित सेवा-प्रभार अर्थात् स्लीपर तथा 2एस श्रेणी के लिए प्रति टिकट 20/- रुपए की दर से और सभी अन्य श्रेणियों के लिए प्रति टिकट 40/- रुपए की दर से सेवा प्रभारों, को वसूल करेंगे।
- 2.1 इसके आगे, आरटीएसए, ई-टिकटिंग एजेंट और आईटीएसके सहित सभी प्राधिकृत टिकट एजेंटों को बिना किसी प्रतिबंध के सुविधा गाड़ियों में टिकट बुक करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

Sd/-

(डॉ. एस. के. अहिरवार)  
निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।  
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

Sd/-  
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी), टीसी-1। तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001.
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ 226011.
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

\*\*\*\*\*



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938

No. 916]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/CHAITRA 24, 1938

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

का.आ.1426(अ).- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकार नियम, 2014 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 2014 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 4 में, उप-नियम(1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 के अधीन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति रखता है, उसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इन नियमों के अधीन 30 जून, 2016 को अथवा उससे पूर्व आवेदन करना होगा।"

3. उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम(1)में,-

(क) मद (i) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (iii) में, "इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) मद (iv) में, "बीस रुपये" तथा "दस रुपये" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "चालीस रुपये" तथा "बीस रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) मद (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) अभिकर्ता आई-टिकट बुक कराने तथा उसे भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम, नई दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के माध्यम से संग्रह करने का हकदार होगा।"

4. उक्त नियम के, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

" अनुज्ञप्ति का नवीकरण – कोई अनुज्ञप्ति जब तक सक्षम प्राधिकारी, कारणों को जब तक लेखबद्ध नहीं करता, अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, अनुज्ञप्ति दस हजार रुपये की वार्षिक नवीकरण फीस और यथा लागू सेवा कर के भुगतान पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत होगा, तथा अनुज्ञप्ति नवीकरण के नियम 5 के उपबंध लागू होंगे, जो कि अनुज्ञप्ति जारी करने में लागू होते हैं।"

[सं. 2014/टीजी-1/23/आरटीएमए/कोर्ट केस]

बी. प्रशांत कुमार, कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन

पाद टिप्पण: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, का.आ.1219(अ), तारीख 7 मई, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2016

**S.O.1426(E)**- In exercise of the powers conferred by section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 2016.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A person who was in possession of a licence to act as an agent under the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, prior to the coming into force of these rules shall make an application under these rules for grant of licence to him to act as an agent on or before the 30<sup>th</sup> day of June, 2016."

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule(1),-
  - (a) in item (i), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted;
  - (b) in item (iii), the words "approved by the competent authority for this purpose" shall be omitted;
  - (c) in item (iv), for the words "twenty rupees" and "ten rupees", the words "forty rupees" and "twenty rupees" shall respectively be substituted;
  - (d) after item (xi), the following item shall be inserted, namely:-

"(xii) the agent shall be entitled to book i-ticket and collect the same through the Information Technology Centre of Indian Railway Catering and Tourism Corporation, New Delhi."

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Renewal of licence.- A licence shall, unless the competent authority, for reasons to be recorded in writing, otherwise decides, be renewable for a period of three years on payment of annual renewal fee of ten thousand rupees and the service tax as applicable, and the provisions of rule 5 shall apply to the renewal of licence also, as they apply to issue of licence."

[No.2014/TG-1/23/RTSA Court Case]

B. PRASHANTH KUMAR, Executive Director Passenger Marketing,

**Foot Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S. O. 1219(E), dated the 7<sup>th</sup> May, 2014.